न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2013-14 निगरानी R 2916 - PBR/14

1. धामेन्द्र सिंह

2. जयेन्द्रसिंह गुर्जर पुत्रगण परमाल सिंह गुर्जर निवासी ग्राम अकबई बडी तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

- निगरानीकर्ता

द्वारा आज दि 4-9-14 को प्रस्तुत

बनाम

दिलीप कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री वेदप्रकाश श्रीवास्तव निवासी झॉसी रोड रिलाइंस पेट्रोल पंप के पास डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

-गैरनिगरानीकार

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 322/10-11 निगरानी व उनमान धामेन्द्र सिंह गुर्जर आदि बनाम दिलीप कुमार श्रीवास्तव मे पारित आदेश दिनांक 13.7.2011 ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग 2910—पीबीआर / 14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5—12—2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13—7—2011 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13—7—2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 4—9—2014 को लगभग 3 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई है और विलंब का कारण अपर आयुक्त द्वारा आदेश की संसूचना नहीं दिया जाना तथा जब अनावेदक द्वारा मौके पर पहुँच कर कहा गया कि तुम्हारे कब्जे का आदेश निरस्त हो चुका है तब अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी हुई । इसके पश्चात उसके द्वारा दिनांक 19—8—2014 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 27—8—2014 को नकल प्राप्त हुई तब उसके द्वारा दिनांक 4—9—2014 को निगरानी प्रस्तुत की गई है। इस आधार पर कहा गया कि जानकारी के दिनांक से निगरानी समय सीमा में प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण की ओर से निगरानी विलंब से प्रस्तुत करने का कारण समाधानकारक नही है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुनकर ही निगरानी अस्वीकार की गई है । इस प्रकार इस	

न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य मान्य की जाती है । जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसीलदार को संहिता की धारा 116 के अंतर्गत कब्जा दर्ज करने संबंधी नवीन प्रविष्टि करने का अधिकार नहीं है, केवल पूर्व में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को ही संशोधित करने का अधिकार है । इस प्रकार यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष